आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान

वेब साईट–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce

ई.मेल–hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141–2705471

क्रमांकःएफ1(2)(254)पीएस / आकाशि / 2024 / 3325 / दिनांकः

1. समस्त प्राचार्य,
   राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा
   जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर

विषयः राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 के नियम 1986 26ख के अन्तर्गत सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान), सहायक आचार्य (चयनित वेतनमान), सह आचार्य (PB IV) एवं आचार्य के पद पर कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने हेतु।

कार्मिक (क ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा महाविद्यालय के शिक्षकों को कैरियर एडवांस स्कीम योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान), सहायक आचार्य (चयनित वेतनमान), सह आचार्य (PB IV) एवं आचार्य के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शिक्षा) संशोधन नियम 2022 लागू किये गये है।

कैरियर एडवांस स्कीम योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान), सहायक आचार्य (चयनित वेतनमान), सह आचार्य (PB IV) एवं आचार्य के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रकिया समयबद्व एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार संपादित की जानी हैः–

(A) **आवेदन की प्रक्रियाः**

1. **दिनांक 30.06.2024 तक पात्र** सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान), सहायक आचार्य (चयनित वेतनमान), सह आचार्य (PB IV) एवं आचार्य HTE वेबसाइट पर डाउनलोड में उपलब्ध आवेदन पत्र मय संलग्नक भरकर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को दिनांक 06–07–2024 तक 3 प्रतियों में स्पाइरल बाइंड करा कर प्रस्तुत करें। **संलग्नकों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।**
2. सम्पूर्ण आवेदन की Scanned pdf कॉपी (मय संलग्नक) संबंधित महाविद्यालय की ईमेल पर भी प्रेषित किया जाना है।
3. आवेदन पत्र के सभी पृष्ठ एवं सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित किये जाएंगे।
4. **अनुसंधान स्कोर (Research Score) हेतु संलग्न किये गये Research Papers के Peer-Reviewed or UGC-Listed or Refereed Journal होने के साक्ष्य आवश्यक रूप से संलग्न करें।**

(B) **प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः**

(1) संबंधित प्राचार्य अपने महाविद्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की प्राथमिक जांच कर नोडल महाविद्यालय (संलग्न सूची अनुसार) को दिनांक 13–07–2024 तक अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी महाविद्यालय को नोडल महाविद्यालय आवंटित नही किया गया है तो वे अपने आवेदन पत्र संलग्न सूची के किसी निकटतम नोडल महाविद्यालय में प्रेषित करें। प्रतिनियुक्ति अथवा कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत संकाय सदस्य अपने आवेदन पत्र मूल पदस्थापित महाविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जिन संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति किसी अन्य विभाग में है / सहायक निदेशक कार्यालय में पदस्थापित है / आयुक्तालय में पदस्थापित हैं वे अपना आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक, एच. आर. डी. को प्रस्तुत करेंगे। इन आवेदन पत्रों की जांच हेतु राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभरलेक को नोडल महाविद्यालय बनाया जाता है।

(C) **नोडल महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः**

1. नोडल महाविद्यालय की आतंरिक गुणवत्ता मूल्यांकन समिति (IQAC) राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 संशोधन दिनांक 14–10–2022 (कार्मिक विभाग

RajKaj Ref
8210356

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.21 18:07:04 IST
Reason: Approved

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान

वेब साईट–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce

ई.मेल–hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141–2705471

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.1(6)DOP/A-II/84Pt. दिनांक 14–10–2022 के अन्तर्गत) के अनुसार प्राप्त आवेदनों के रिसर्च स्कोर की गणना कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में भरकर प्राप्त आवेदन पत्रो ंको **दिनांक 22–07–2024 सायं 05:00 बजे तक** आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त प्राप्त आवेदनों की सूचनाऐं CAS2024 नामक Google Spreadsheet में नियमित रूप से भरना सुनिश्चित करें।

2. सम्पूर्ण आवेदन की Scanned pdf कॉपी (मय संलग्नक) आयुक्तालय की ईमेल "cas.raj.2024@gmail.com" पर दिनांक 22.07.2024 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर IQAC द्वारा स्कोर के अंकन के पश्चात् आयुक्तालय को प्रेषित की गई आवेदन पत्र की कार्यालय प्रति (एक प्रति) संबंधित आवेदक की निजी पत्रावली में नत्थी करने हेतु संबंधित महाविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. अपूर्ण आवेदन पत्र आयुक्तालय को प्रेषित नहीं किऐ जावें। अपूर्ण आवेदन पत्र पर आयुक्तालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। इस हेतु प्राचार्य स्वंय जिम्मेदार होंगे।

उक्त प्रक्रिया हेतु निम्न समय सारणी का पालन किया सुनिश्चित करें:

महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 06.07.2024**
नोडल महाविद्यालय को आवेदन पत्र एवं Soft Copy प्रेषित करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 13.07.2024**
नोडल महाविद्यालय की IQAC समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर आयुक्तालय आवेदन पत्र मय Soft Copy प्रेषित करने एवं IQAC समिति द्वारा email- cas.raj.2024@gmail.com द्वारा Share गूगल स्प्रेडशीट पर सूचनाएँ भरने व भेजने की अंतिम तिथि	**दिनांक 22.07.2024 (सायं 05:00 बजे तक)**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(पुखराज सेन)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै–

1– विशिष्ठ सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3– वेबसाईट प्रभारी – कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
4– रक्षित पत्रावली ।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
8210356

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.06.21 18:07:04 IST
Reason: Approved